



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाजायज गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 06 माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 186/2024 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. सरफुद्दीन पुत्र नसरुद्दीन निवासी ग्राम कम्हरिया थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 06 माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री प्रवीण
कुमार भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 हरिद्वार प्रसाद



पैरोकार- थाना मौदहा
का0 शुभम यादव